FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत......उपखण्ड अधिकारी......मुकाम......कोटा......
......भंवरलाल......बनाम......सरकार......
किस्म मुकदमा......इजराय......नं. ......1......सन्......17......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/7/25	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र बाबत करवाये जाने पालना आदेश दिनांक 20.04.2009 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा वास्ते पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 20.04.2009 को निर्णय पारित कर ग्राम नान्ता की आराजी रकबा 10 बिस्वा जिसके पुराने खसरा नं0 924 नये खसरा नं0 1539/1948 रकबा 0.07 है0 को वादी अपीलान्ट एवं नन्दा पुत्री गणपति को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। अतः माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की पालना की जावे। इजराय दर्ज रजिस्टर कर पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को पत्र जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रकरण में विवादाग्रस्त आराजी के सम्बंध में मौका स्थिति एवं रेकॉर्ड की जॉच की गई। वर्तमान में खसरा नं0 1539/1948 रकबा 0.07 भूमि ग्राम नान्ता नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज रिकॉर्ड है एवं उक्त भूमि वर्तमान में मोके पर खाली पड़ी हुई है जिस पर जगदीश सैनी पुत्र नन्दलाल सैनी जाति माली नि0 नान्ता काबिज है। तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। इजरायदार की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में निर्णय दिनांक 20.04.2009 की पालना किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 1539/1948 की भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को हस्तान्तरित कर दी गई। प्रार्थी ने धारा 92 की सपठित धारा 102 ए राज0 ले0 रे0 एक्ट के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं करी है। धारा 92 की सपठित धारा 102 ए का आदेश को निरस्त कराये बगैर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट है कि वर्तमान में विवादित ख0न0 के नगर विकास न्यास के खाते दर्ज हो जाने के कारण स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा न होकर अन्य का कब्जा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 1539/1948 की भूमि धारा 92 की सपठित धारा 102 ए की कार्यवाही के पश्चात नगर विकास न्यास कोटा के अधिकारिता में है। प्रार्थीगण ने धारा 92 की सपठित धारा 102 ए राज0 ले0 रे0 एक्ट के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। धारा 92 की सपठित धारा 102 ए के आदेश को निरस्त कराये बगैर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। जिस कारण से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटा	